पेंशन विभाग दिनांक: 15.12.2025

वर्ष 2026 के लिए पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र का जमा करना

यु इं इं कं के सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। वर्ष 2026 के लिए पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र दो तरीकों से जमा कर सकते हैं:

a. निकटतम यु इं इं कं कार्यालय में जाकर या

b. JEEVAN PRAMAAN मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके

विधि 1: @ यु इं इं कं में जमा करना

जब पेंशनभोगी निकटतम यु इं इं कं कार्यालय जाने का विकल्प चुनते हैं, तो उसे ESS-HCM पोर्टल के माध्यम से LC ऑनलाइन जमा करना होगा। यु इं इं कं के सभी क्लास-1 अधिकारी पोर्टल में लॉग इन करके पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने में सुविधा प्रदान कर सकते हैं। दिनांक 01.01.2026 से ESS-HCM पोर्टल के LIFE CERTIFICATE टैब में प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो पेंशनभोगी 10.02.2026 को या उससे पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं, उनकी पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। जबकि कट-ऑफ तारीख के बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन रोक दी जाएगी और प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही भुगतान जारी की जाएगी।

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी को पहचान के उद्देश्य से सत्यापन अधिकारी के समक्ष फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसे पेंशनभोगी आईडी कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि। सत्यापन अधिकारी अनिवार्य विवरण जैसे आधार, आधार के अनुसार नाम, पैन, मोबाइल नंबर की जाँच कर सकते हैं और उन्हें सत्यापित/अद्यतन कर सकते हैं।

सत्यापन अधिकारी LIFE CERTIFICATE टैब में "एन्युइटी संख्या" या "कर्मचारी संख्या" दर्ज करके पेंशनभोगी का डेटा प्राप्त कर सकते हैं।

विधि 2: JEEVAN PRAMAAN मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके

पेंशनभोगियों के लिए JEEVAN PRAMAAN एक आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) है, जिसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यह ऑनलाइन बायोमेट्रिक/ फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आधार प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करता है। पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कार्यालय जाने या अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती।

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड को JEEVAN PRAMAAN मोबाइल एप्लिकेशन में जीवन प्रमाण पत्र (DLC) के लिए "**केंद्र सरकार उपक्रम/ पीएसयू** " श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

JEEVAN PRAMAAN का उपयोग करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ

1. पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी के पास वैध आधार होना चाहिए।
2. आधार के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए।
3. ई-मेल (वैकल्पिक)।
4. पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी का एन्युइटी संख्या (एन्युइटी संख्या से संबंधित सहायता के लिए, LC 2026 जमा करने हेतु प्राप्त सूचना SMS में उल्लिखित वार्षिकी संख्या का संदर्भ लें या अपने क्षेत्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय के पेंशन विभाग से संपर्क करें।)
5. पेंशन को लिंक किया गया बैंक विवरण जहाँ पेंशन प्राप्त होती है।

JEEVAN PRAMAAN के माध्यम से बायोमेट्रिक/ फेस ऑथेंटिकेशन पद्धति से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (ऐप आधारित)

पेंशनभोगी किसी भी केंद्र पर जाए बिना, अपने घर से ही JEEVAN PRAMAAN ऐप का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह दो तरीकों से किया जा सकता है: या तो एक अलग बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से या फेस रिकग्निशन ऐप के माध्यम से। Jeevan Pramaan Face Authentication App के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विस्तृत निर्देश पेंशनभोगी पोर्टल पर साझा किए गए हैं।

सामान्य निर्देश:

1. दिसंबर 2025 के महीने में सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को वर्ष 2026 के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा, एलआईसी द्वारा आवंटित एन्युइटी संख्या प्राप्त होने के उपरांत, जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में सक्रिय की जाएगी। इसके बाद वे उपर्युक्त अंतिम तिथि पर या उससे पहले अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। विभाग ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों को एक एसएमएस सूचना भेजने का प्रबंध करेगा, जिसमें एन्युइटी संख्या उल्लिखित होगी। वर्ष 2026 के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करते समय वे इस संख्या का संदर्भ दे सकेंगे।
2. चूंकि जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किया जा रहा है, इसलिए पेंशन विभाग को हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
3. हमारे डाटाबेस में किसी भी संशोधन की आवश्यकता होने पर, समर्थित दस्तावेजों के साथ विवरण को अलग से hopension@uiic.co.in पर ईमेल करें।
4. जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की पावती प्रधान कार्यालय, पेंशन विभाग में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि बिना किसी परेशानी के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि सही एन्युइटी संख्या दर्ज की गई है। JEEVAN PRAMAAN ऐप में गलत एन्युइटी संख्या दर्ज किए जाने पर डेटा सत्यापन के बाद यु इं इं कं द्वारा जीवन प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, और इसके कारण पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी हो सकती है।

यद्यपि National Informatics Centre द्वारा संचालित जीवन प्रमाण पोर्टल (GOI's JEEVAN PRAMAAN) के माध्यम से जमा किए जाने पर पेंशनभोगियों को तत्काल पुष्टि हेतु एसएमएस और ई-मेल भेज दिए जाते हैं, तथापि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक कि यु इं इं कं द्वारा एक पावती एसएमएस भेजकर इसकी पुष्टि न कर दी जाए तथा जीवन प्रमाणपत्र के नीचे निम्न स्थिति प्रदर्शित न हो:**"Note: Your Digital Life Certificate has been successfully accepted by United India Insurance Co. Ltd."** पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे जीवन प्रमाणपत्र जमा किए जाने की पुष्टि करें तथा एक सप्ताह के पश्चात जीवन प्रमाण वेबसाइट "*https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login*" से इसकी डिजिटल प्रति डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमने पिछले वर्षों में पेंशनभोगियों द्वारा कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनमें गलती से यु इं इं कं के बजाय किसी अन्य संगठन का चयन कर लिया गया था, जिसके कारण जीवन प्रमाणपत्र यु इं इं कं तक पहुँच नहीं पाया था। यद्यपि सभी सावधानियां और जांच हमारे द्वारा की गई हैं, फिर भी JEEVAN PRAMAAN पोर्टल में किसी भी अनजाने त्रुटि या पेंशनभोगियों द्वारा JEEVAN PRAMAAN पोर्टल में एन्युइटी संख्या दर्ज करने/उल्लेख करने में की गई किसी भी त्रुटि के लिए यु इं इं कं जिम्मेदार नहीं होगी। पेंशनभोगी इस सुविधा के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://jeevanpramaan.gov.in/ देख सकते हैं।

किसी भी प्रश्न या सहायता की आवश्यकता होने पर पेंशन विभाग से संपर्क करें: ईमेल: hopensiongroup@uiic.co.in या फोन: 044-28575 329/330/331/332

अल्फा-न्यूमेरिक एन्युइटी संख्या (U000 एवं 071M शृंखला) धारक पेंशनभोगियों हेतु विशेष निर्देश

उपरोक्त शृंखलाओं में एन्युइटी संख्या वाले पेंशनभोगी, जीवन प्रमाणपत्र जमा करने हेतु उसी संख्या का उपयोग जारी रख सकते हैं, क्योंकि प्रणाली द्वारा एलआईसी से प्राप्त संशोधित एन्युइटी संख्याएँ (जो 6053 या 6054 से आरम्भ होती हैं) स्वीकार नहीं की जाएँगी।

फॉर्म 87A स्व-घोषणा – पैन, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी की वैधता एवं शुद्धता

पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे जीवन प्रमाणपत्र जमा करते समय उपर्युक्त विवरणों की शुद्धता एवं वैधता सुनिश्चित करें, क्योंकि ये विवरण एलआईसी के EPGS पोर्टल में पंजीकृत होते हैं तथा आगामी वित्तीय वर्षों एवं भविष्य में 87A स्व-घोषणा प्रस्तुत करते समय इनका सत्यापन किया जाएगा। यदि प्रदान किए गए विवरणों में कोई अंतर पाया गया, तो पेंशनभोगी द्वारा यह फॉर्म एलआईसी को जमा करना संभव नहीं हो पाएगा।

मुख्य प्रबंधक

UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD. PENSION DEPT. H.O. 24, WHITES ROAD, CHENNAI-14